Emailed

प्रेषक

निदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा
चण्डीगढ़।

सेवा में

राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी।
राज्य के सभी जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी।
निदेशक एच0सी0ई0आर0टी0 गुडगांव।
संभी प्राचार्य डाईटस।

यादी कमांक 2/2–07एम0ई0(2)
दिनांक, चण्डीगढ़ 15-11-2010

विषयः– लिपिक से सहायक के पदों पर पदोन्नति हेतु केस भेजने बारें।

कृपया निदेशालय के यादी कमांक 2/2–07 एम0ई0(2) दिनांक 16.6.2010 की निरन्तरता में आपको लिखा गया था कि लिपिको से बतौर सहायक के पद पर पदोन्नति करने हेतु वरिष्ठता सूची 1.1.2004 की स्थिति अनुसार सामान्य वर्ग के वरिष्ठता कमांक 550 तथा तथा अनुसूचित जाति जिनकी नियुक्ति 31.12.88 है तक के केस मांगे गये थे तथा उसी अनुसार पदोन्नति आदेश जारी कर दिए गए है। अब लिपिक से सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु अन्य मामलें विचारने के लिए सामान्य वर्ग के वरिष्ठता सूची 1.1.04 की स्थिति अनुसार वरिष्ठता कमांक 660 तक तथा अनुसूचित जाति जिनकी नियुक्ति 31.12.1998 तक की है उनके विरूद्व जांच/शिकायत लम्बित न होने तथा कोर्ट केस लम्बित न होने बारे और पिछले 10 वर्षो (सेवा रिकार्ड) की समरी शीट जिला शिक्षा अधिकारी से प्रति– हस्ताक्षर करवाकर कर्मचारी का बायोडाटा प्रोफार्मे में भरकर निदेशालय में भेजें। उनके मामलें निदेशालय में प्राप्त हो चुके है इसके अतिरिक्त अब पुनः निर्णय लिया गया है कि सामान्य श्रेणी के वरिष्ठता कमांक 551 से 750 तक जिन लिपिकों की पदोन्नति सहायकों के पद पर नही की गई है उनके केस भी पूर्ण रिकार्ड सहित भेजें। निदेशालय में जो केस भेजे व पूर्ण रिकार्ड सहित दस्ती विशेष वाहक द्वारा 21.11.2010 तक भेजें। यहां यह उल्लेखनीय है कि लिपिक से सहायक के पद पर यह पदोन्नतियां वरिष्ठता के आधार पर की जानी है। अधूरे केस भेजने के लिए सम्बन्धित कर्मचारी / अधिकारी स्वंय जिम्मेवार होगें।

Badri Singh
अधीक्षक एच0आर0एम0ई0
कृतेः निदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा
चण्डीगढ़।

15/11